कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक –2120 / 14–1 दिनांक, मुरादाबाद, 04 जनवरी , 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– मुरादाबाद–बरेली–लखनऊ मार्ग (एन0एच–24) किमी0 163 से 164 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम–मुस्तफाबाद के खसरा सं0–196/03 में सिटी एनर्जी लि0, मुरादाबाद द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निमार्ण हेतु 0.1009 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– आपका पत्रांक–1674/मुरादाबाद/23468/2017, दिनांक 22–12–2017.

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र **(दिनांक 22.12.2017)** द्वारा विषयक प्रस्ताव में इंगित की गई आपत्ति का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या–1619/14–1,दिनांक 03–01–2018 द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या/अभिलेख की 3–3 प्रतियां मूल में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है–

Observ No.	Observation of Nodal	Reply
1	आनलाईन पार्ट–1 के बिन्दु –ए–3(XVII) पर अपलोड प्राधिकार पत्र में दिनांक अंकित नही है। उक्त के स्थान पर प्रस्ताव के पृष्ठ–25 पर संलग्न मूल अभिलेख को अपलोड कराने का कष्ट करें।	ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु –ए–3(XVII) पर अपलोड प्राधिकार पत्र में दिनांक अंकित कर अपलोड कर प्रस्ताव के पेज सं0 5.पर चस्पा कर दिया गया है।
2	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु –2 बी के कम में पार्ट–1 पर अपलोड की गयी के0एम0एल0 फाईल व डिजीटल मैप की आकृति आपस में मेल नही खाते है।	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु –2 बी के कम में पार्ट–1 पर अपलोड की गयी के0एम0एल0 फाईल संशोधित कर दी गयी है।
3	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु –2 सी के कम में पार्ट–1 पर संशोधित के0एम0एल0 फाईल अपलोड नही की गयी है। कृपया अपलोड कराने का कष्ट करें।	बिन्दु –2 सी के कम में पार्ट–1 पर संशोधित के0एम0एल0 आनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव के पेज सं0 6 पर चस्पा कर दी गयी है।
4	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु –5 के कम में प्रस्ताव के साथ भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नही किया गया है। न ही आनलाईन अपलोड किया गया है।	बिन्दु –5 के कम में प्रस्ताव के साथ भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न ऑन लाईन पार्ट–2 में अपलोड कर प्रस्ताव के पेज सं0–30 चस्पा है।
5	आनलाईन पार्ट–2 के ADDITIONAL INFORMATI ON DETAILS के बिन्दु सं0–1 पर शासन द्वारा भाग–5 पर की संस्तुति को न अपलोड कर अन्य पत्र अपलोड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।	आनलाईन पार्ट–2 के ADDITIONAL INFORMATI ON DETAILS के बिन्दु सं0–1 पर शासन द्वारा भाग–5 पर की संस्तुति को ऑनलाईन पार्ट–2 में अपलोड कर दी गयी है।

संलग्नक–प्रस्ताव की 3 प्रतियॉं मूल में।

भवदीय,

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 2120 / 14–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि – प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद को उनके पत्रांक–1619/14–1,दिनांक 03–01–2018 के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव/अभिलेख (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।